

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग


क्रमांक : एफ. 33(8) खा.वि./प्रोक्यो./ क्रय केन्द्र/2023-24

जयपुर, दिनांक 07/6/23

:- आदेश :-

विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 28.04.2023 में संशोधन करते हुए रबी विपणन वर्ष 2023-24 के दौरान समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद हेतु भारतीय खाद्य निगम को चित्तौड़गढ़ जिले में आवंटित राशमी क्रय केन्द्र को निरस्त कर रोलिया क्रय केन्द्र आवंटित किया जाता है।


यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(अनीता मीना)

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
3. प्रबंध निदेशक, राजफेड/तिलम संघ, जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त, उदयपुर, राजस्थान।
5. जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
6. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर।
7. महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. राज्य प्रमुख, नेफेड, जयपुर।
10. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
11. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करावें।
12. जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़।


अतिरिक्त खाद्य आयुक्त